भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 360

उत्तर देने की तारीख 08.12.2022

वैश्विक बाजार में एमएसएमई की भागीदारी

360. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश की आर्थिक संरचना की रीढ़ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार निर्यात में वृद्धि के लिए और अधिक एमएसएमई को विश्व भर में प्रतिस्पर्धी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या वैश्चिक बाज़ारों में भारतीय एमएसएमई की मज़बूत भागीदारी इस तरह की वृद्धि को गति दे सकती है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) देश के निर्यात में एमएसएमई की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है और केंद्र सरकार का अगले तीन वर्षों में इसकी हिस्सेदारी में कितनी वृद्धि करने का विचार है;

(छ) केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को वैश्विक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के स्तर पर ले जाने में सहायता करने के लिए की जा रही पहल/प्रयास क्या हैं; और

(ज) क्या एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित किया गया है ताकि इन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख): भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपने योगदान के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान संपूर्ण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) अंश कमशः 30.50% और 26.83% रहा है।

(ग) से (छ): एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और भारतीय निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने बहुत सी पहलें शुरू की है नामतः मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम, व्यवसाय करने में आसानी का संवर्धन, मुद्रा के माध्यम से ऋण की उपलब्धता में सुधार, स्टैंड-अप इंडिया। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 52 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना की है। साथ ही, एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और वैश्विक बाज़ारों में इनके विकास में तेज़ी लाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न स्कीमों नामतः, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएस -टीयूएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई -सीडीपी), तकनीकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), प्रापण और विपणन स्कीम (पीएमएस) आदि के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।

एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक व्यापक बी2बी पोर्टल - 'MSMEmart.com' (एमएसएमई मार्ट डॉट कॉम) का प्रचालन किया जा रहा है जो सभी क्षेत्रों में एमएसएमई की सभी व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति एक स्थान पर ही डिजिटल रूप से करता है और वैश्विक बाज़ारों में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएसएमई को अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) बी2सी आऊटरीच के लिए एक ई-कामर्स पोर्टल 'ekhadiindia.com' (ईखादी इंडिया डॉट कॉम) का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे व्यवसायों की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाती है।

देश के निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का वर्तमान अंश 45.03% (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए) है। इसके अलावा, आईसी स्कीम के अंतर्गत दो घटक नामतः, विपणन विकास सहायता (एमडीए) घटक विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में एमएसएमई के दौरों/भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन सहित पहली बारगी निर्यातकों के लिए क्षमता विकास (सीबीएफटीई) घटक नए एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए निर्यात संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना से इनके निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र को अन्य बातों के साथ-साथ सहायता प्राप्त होगी।

(ज): जी, नहीं।

****